REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड

पंजाब में रौलेट एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था जो कई स्थानों पर हिंसक रूपों में भी प्रतिफलित हुआ। उस समय डॉ० किचलू व डॉ० सत्यपाल पंजाब के जनप्रिय नेता थे। गाँधी जी 9 अप्रैल को गिरफ्तार हुए, 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर सर माइकेल ओ० डायर ने डॉ० किचलू तथा डॉ० सत्यपाल को किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इससे अमृतसर की जनता क्रोधित हो गई। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जनता ने अमृतसर में एक जुलूस निकाला। जुलूस पर गोलियाँ बरसायी गई जिसके परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्ति मारे गये। शवों को जनता अपने कन्धो पर लादकर शहर वापस ले गई। जलसे के कुछ भावुक आदमियों ने सरकारी भवनों में आग लगा दी तथा कुछ यूरोपियनों को मार डाला। परिणाम स्वरूप सैनिक पूरे शहर में छा गया। जनरल डायर जो जालन्धर डिवीजन का कमाण्डर था, 12 अप्रैल 1919 को अमृतसर का नियन्त्रण लेने आ पहुँचा और एक ही दिन के बाद 13 अप्रैल 1919 को जालियाँवाला बाग का लोमहर्षक हत्याकाण्ड घटा।

जनप्रिय नेताओं को अज्ञात स्थान पर भेजने तथा अधिकारियों द्वारा शान्त जनता पर गोली बरसाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 के दिन दोपहर से ही अमृतसर निवासी जालियाँवाला बाग में एकत्रित होने आरम्भ हो गये। जनरल डायर ने 13 अप्रैल को होनेवाली मिटिंग को अवैध घोषित कर दिया था। किन्तु प्रतिबन्ध की सूचना तथा घोषणा ठीक तौर पर नहीं की गई अर्थात् प्रतिबन्ध की सूचना की जानकारी लोगों को नहीं मिली तथा कुछ लोगों को मिली भी। जनता के एकत्रित होने की सूचना पर जनरल डायर 100 भारतीय सैनिकों तथा 50 अंग्रेज सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुँचा। वह अपने साथ मशीनगन भी ले गया, जिसे सभा स्थल तक नहीं ले जाया गया क्योंकि रास्ता बहुत संकीर्ण था।

जनता साधारण विरोध के लिए एकत्रित हुई थी तथा सभा भी पूर्णत: शांति ढंग से हो रही थी। जनता तथा नेता पूर्ण रूप से अहिंसावादी था। पिछले दिन जो हिंसक घटनाएँ हुई वह घटना इक्के-दुक्के उग्र व्यक्तियों द्वारा हुए थे। जनरल डायर के आदेशानुसार जनता को तितर-बितर होने की चेतावनी दिये बिना ही 303 की 1650 गोलियाँ छोड़ी गई। जब तक गोलियों का भण्डार समाप्त न हुआ गोलियाँ चलती रही। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 आदमी मरे तथा 1137 घायल हुए। किन्तु 10 मिनट के इस अन्धाधुन्ध अग्नि-वर्षण के परिणाम स्वरूप मृतकों व घायलों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी। जनरल डायर इस पाशविक घटना के बाद घायलों तथा मृतकों को वहाँ अपने भाग्य पर छोड़ चला गया।

जालियाँवाला बाग अमृतसर शहर के मध्य में चारों ओर से मकानों की दिवारों से घिरी एक खुली जगह में है। एक मात्र प्रवेश द्वार के अतिरिक्त, जिसे सैनिकों ने बन्द कर दिया था, चार-पाँच छोटे दरवाजे और है जो प्राय: बन्द रखे जाते है। अत: गोलीकाण्ड के समय भागने का कोई मार्ग ही न था। चारों ओर के घरों की छतों पर से रस्सियाँ तथा जंजीरे फेंकी गई जिन पर आदमी चढ़े।

अपने चुनाव घोषणा पत्र में भारत की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया था। ब्रिटिश लोकमत श्रमिक दल की ओर झुक रहा था। मि० चर्चिल अनुदार दल के नेता थे। अपने दल को निर्वाचनों में सफल बनाने के लिए उन्होंने वैवेल योजना का निर्माण किया जिससे कि ब्रिटिश जनता को मालूम हो जाए कि अनुदार दल भी भारतीय समस्या के समाधान के लिए जागरूक है।

वैवेल योजना की व्यवस्थाएँ (Provision of Wavell Plan) :- वैवेल योजना की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। :-

(i) भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना तथा स्वशासन लाना :- उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की एक नयी सूची तैयार की जाए जिसमें वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे

(ii) कार्यकारिणी परिषद में हिन्दुओं और मुसलमानों को समान स्थान प्राप्त होंगे।

(iii) प्रतिरक्षा गवर्नर जनरल के अधीन होगा। सीमान्त एवं कबाइली मामले को छोड़कर शेष वैदेशिक विषय भारतीय सदस्यों के अधीन होंगे।

(iv) कार्यकारिणी परिषद की स्थिति अस्थायी राष्ट्रीय सरकार जैसी होगी। गवर्नर जनरल को मंत्रिपरिषद के निर्णय पर निषेधाधिकार प्राप्त होगा परन्तु वह अकारण ही इसका प्रयोग नहीं करेगा।

(v) भारतीय शासन में भारत मंत्री न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा।

(vi) ब्रिटिश व्यापारिक एवं अन्य हितों के संरक्षण के लिए अन्य अधिराज्यों के समान भारत में भी ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति की जायेगी

(vii) भावी संविधान का निर्माण भारतीय जनता स्वयं करेगी एवं इन प्रस्तावों का उसके स्वरूप एवं प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस प्रकार वैवेल योजना एक सराहनीय योजना थी जिसका सभी राजनीतिक दलों द्वारा स्वागत किया गया। कांग्रेस केवल इसके इस विचार से सहमत नहीं थी कि सवर्ण हिन्दू और अनुसूचित हिन्दू वर्णित कर हिन्दुओं में फूट डालने का प्रयास किया जाए। मुस्लिम लीग ने प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा। जो भी मतभेद था वह नाममात्र का था और लगभग सभी राजनीतिक दलों ने शिमला सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए सहमति व्यक्त की।

(समाप्त)

डॉ० रजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी.के. कॉलेज, डुमराँव
दिनांक 21/08/2020

सत्ता प्राप्त थी।

(XII) भारतीय परिषद का अन्त :- अधिनियम द्वारा गृह शासन में परिवर्तन हुआ
तथा भारत परिषद का अन्त कर दिया गया। भारत सचिव के लिए कुछ परामर्शदाता
नियुक्त कर दिए गए जिनसे परामर्श लेना या न लेना उनकी इच्छा पर था।

(XIII) बर्मा, बरार और अदन :- बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन
को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके इंगलैण्ड के उपनिवेश विभाग के
अधीन कर दिया गया। बरार प्रान्त को कानूनी दृष्टि से हैदराबाद के निजाम
की सत्ता के अधीन रखा गया, किन्तु उसे प्रशासन की दृष्टि से मध्यप्रान्त का
अंग बना दिया गया।

मूल्यांकन :- उपर्युक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि 1935 का प्रस्तावित संघ
अनेक विषमताओं से भरा था। इसकी स्थापना में भारतीय जनता का कोई अधिकार नहीं
था। संघ में जनतांत्रिक सांचन का सर्वथा अभाव था। संघ में प्रगतिशील प्रान्तों और
अप्रगतिशील देशी राज्यों का विचित्र या अव्यावहारिक सम्मेलन था। केन्द्रीय विधान-
मंडल में देशी राज्यों को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी इस संघीय योजना
का दोष था। भारतीय राष्ट्रीयता को दुर्बल बनाने के लिए निम्न सदन की रचना में
अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गयी और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का वहाँ
के शासकों द्वारा मनोनयन होता था। इस प्रकार संघ का आधार प्रतिक्रियावादी था।
इस प्रकार संघ राज्य की योजना जनता का समवेत निन्दा के स्वर में डूब गयी। इसके
दोष इतने भयानक थे, जिन्हें सहन नहीं किया जा सकता था। कांग्रेस, लीग, हिन्दू
महासभा तथा सिक्खों ने इस योजना को दोषपूर्ण बताकर अस्वीकार कर दिया था।
नेहरू के शब्दों में, "संघीय सरकार का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि उसमें
किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं थी।" अंग्रेज विद्वान ए. बी. कीथ का कहना था
कि "इस अधिनियम द्वारा एक ओर तो भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की चेष्टा
की गई थी कि उन्हें सब कुछ दे दिया गया है और दूसरी ओर संरक्षणों की व्यवस्था
कर अंग्रेज को यह विश्वास दिलाया गया कि कुछ भी नहीं खोया है।"

(समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
डी. के. कॉलेज, डुमराँव

दिनांक - 20/08/20

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA